"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 20, शक 1937

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2015

क्रमांक 980/722/अव./2012/1-8/स्था.—श्री एस. एल. नर्रे, अवर सचिव, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 03-08-2015 से 07-08-2015 तक 05 दिवस का (दिनांक 08, 09-08-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. एल. नर्रे आगामी आदेश तक अवर सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. एल. नर्रे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एल. नर्रे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2015

क्रमांक 982/266/अव./2010/1-8/स्था.—श्री एस. के. तिवारी, अवर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 21-09-2015 से 26-09-2015 तक 06 दिवस का (दिनांक 19, 20, 27-09-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तिवारी आगामी आदेश तक अवर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. के. तिवारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2015

क्रमांक 984/439/अव./2014/1-8/स्था.—श्री के. आर. मिश्रा, अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 19-11-2015 से 28-11-2015 तक 10 दिवस का (दिनांक 29-11-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. आर. मिश्रा आगामी आदेश तक अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री के. आर. मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. आर. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2015

क्रमांक 986/936/अव./2013/1-8/स्था.—श्री एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव, गृह (पुलिस) विभाग को दिनांक 26-10-2015 से 31-10-2015 तक 06 दिवस का (दिनांक 24, 25-10-2015 एवं दिनांक 01-11-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एन. डी. कुंदानी आगामी आदेश तक अवर सचिव, गृह (पुलिस) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एन. डी. कुंदानी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. डी. कुंदानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2015

क्रमांक 988/1018/अव./2015/1-8/स्था.—श्री चन्द्रकांत उइके, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 23-10-2015 से 02-11-2015 तक 12 दिवस का (दिनांक 21, 22-10-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रकांत उइके आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री चन्द्रकांत उइके को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रकांत उइके अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2015

क्रमांक 996/444/अव./2014/1-8/स्था.—श्री जे.एन. अवस्थी , अवर सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को दिनांक 29-07-2015 से 19-08-2015 तक 22 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जे. एन. अवस्थी आगामी आदेश तक अवर सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जे. एन. अवस्थी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे. एन. अवस्थी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2015

क्रमांक 1000/722/अव./2012/1-8/स्था.—श्री एस. एल. नर्रे, अवर सचिव, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 12-10-2015 से 23-10-2015 तक 12 दिवस का (दिनांक 09, 10, 24, 25-10-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित)अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. एल. नर्रे आगामी आदेश तक अवर सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. एल. नर्रे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एल. नर्रे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2015

क्रमांक 1004/933/अव./2014/1-8/स्था.—श्री एम. आर. ठाकुर, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 9-10-2015 से 16-10-2015 तक 08 दिवस का (दिनांक 17, 18-10-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित)अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. आर. ठाकुर आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एम. आर. ठाकुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. आर. ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2015

क्रमांक 1012/624/अव./2010/1-8/स्था.—श्री एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 31-08-2015 से 13-09-2015 तक 14 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. डी. चोपड़े आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एल. डी. चोपड़े को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एल. डी. चोपड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 17 नवम्बर 2015

क्रमांक 1014/729/अव./2014/1-8/स्था.—श्री अरज लाल, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 19-10-2015 से 31-10-2015 तक 13 दिवस का (दिनांक 17, 18-10-2015 एवं 01-11-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित)अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अरज लाल आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अरज लाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरज लाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2015

क्रमांक एफ 7-07/2015/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ए. एम. जूरी, (भापुसे-2000) सहायक पुलिस महानिरीक्षक, सामान्य योजना/प्रबंध, पुलिस मुख्यालय रायपुर को दिनांक 06-11-2015 से 20-11-2015 (15 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21 एवं 22 नवम्बर 2015 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जूरी आगामी आदेश तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक, सामान्य योजना/प्रबंध, पुलिस मुख्यालय रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री जूरी को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. एम. जूरी, (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री ए. एम. जूरी, (भापुसे-2004) सहायक पुलिस महानिरीक्षक, सामान्य योजना/प्रबंध, पुलिस मुख्यालय रायपुर के उक्त अवकाश अवधि में सहायक पुलिस महानिरीक्षक, सामान्य योजना/प्रबंध, पुलिस मुख्यालय रायपुर का चालू प्रभार श्री के. सी. अग्रवाल, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, दूरसंचार/सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2015

क्रमांक एफ 1-32/2015/25-2.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 5096/1514/25-2 दिनांक 1 जुलाई 2006 के द्वारा श्री साजिद मेमन, सहायक संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर को हज कमेटी के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है को निरस्त करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एम. आर. खान, सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग को सचिव/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य हज कमेटी के पद पर आगामी आदेश तक पदस्थ करता है.

2. श्री एम. आर. खान छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग में अन्य सचिव की पदस्थापना होने तक अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृता बेक, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2015

क्रमांक एफ 1-16/2004/11/(6).—इस विभाग के आदेश क्रमांक 6072/4065/2015/11/6, दिनांक 09-11-2015 द्वारा श्रीमती शारदा वर्मा, पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें की दिनांक 15-11-2015 से 23-12-2015 तक प्रशिक्षण की अवधि के लिए श्री डी. डी. महंत, उप पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें, नया रायपुर का चालू कार्यभार सौंपा गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश दिनांक 09-11-2015 के अनुक्रम में श्री डी. डी. महंत को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 4 एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 58 (1) के तहत पंजीयक की समस्त शक्तियां प्रदत्त की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2015

क्रमांक/पं.-1141/पंग्राविवि/22/2015/786.—छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 70 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1999

में निम्नलिखित और संशोधन करती है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 27 के खण्ड (दो) में, शब्द "स्थिति थी" के पश्चात्, कोलन ":", के स्थान पर, पूर्ण विराम "." प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 27 के खण्ड (दो) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. नायक, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2015

क्रमांक/पं.-1141/पंग्राविवि/22/2015/787.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पंचा-1141/पंग्राविवि/22/2015/786, दिनांक 01-12-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. नायक, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 1st December 2015

No./P.-1141/PGVV/22/2015/786.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 70 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Panchayat Service (Recruitment and General Conditions of Services) Rules, 1999, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In clause (ii) of rule 27, for the colon ":", after the word "appointment", the full stop "." shall be substituted.

2. First and Second proviso of clause (ii) of rule 27 shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. L. NAYAK, Joint Secretary.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ–1–29/2013/म.बा.वि./50.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची—एक, दो, तीन एवं चार के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"अनुसूची—एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आयुक्त/संचालक	1	प्रथम श्रेणी	37400—67000+10000	भा. प्र. से.
2.	अपर संचालक	1	—तदैव—	37400—67000+8700	संयुक्त संचालक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा।
3.	संयुक्त संचालक (संचालनालय)	4	—तदैव—	15600—39100+7600	एक पद राज्य वित्त सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा।
4.	संचालक (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र—संयुक्त संचालक संवर्ग)	1	—तदैव—	15600—39100+7600	उप संचालक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा।
5.	महाप्रबंधक (छत्तीसगढ़ महिला कोष— संयुक्त संचालक संवर्ग)	1	—तदैव—	15600—39100+7600	विभागीय संयुक्त संचालक से प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित। यह पद संयुक्त संचालक संवर्ग के अंतर्गत जोड़ा जाये। उप संचालक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा।
6.	सचिव (छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग— संयुक्त संचालक संवर्ग)	1	—तदैव—	15600—39100+7600	—तदैव—
7.	सचिव (छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग— संयुक्त संचालक संवर्ग)	1	—तदैव—	15600—39100+7600	—तदैव—
कनिष्ठ प्रथम श्रेणी					
8.	उप संचालक (संचालनालय)	5	कनिष्ठ प्रथम श्रेणी	15600—39100+6600	सहायक संचालक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा।

9.	उप संचालक (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र)	2	–तदैव–	15600–39100+6600	–तदैव–
10.	उप संचालक (क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र)	2	–तदैव–	15600–39100+6600	–तदैव–
11.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	25	–तदैव–	15600–39100+6600	–तदैव–
वरिष्ठ द्वितीय श्रेणी					
12.	सहायक संचालक (संचालनालय)	6	वरिष्ठ द्वितीय श्रेणी	15600–39100+5400	सीधी भर्ती तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी से पदोन्नति द्वारा।
13.	सहायक संचालक/संकाय सदस्य (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र)	7	–तदैव–	15600–39100+5400	–तदैव–
14.	सहायक संचालक/ संकाय सदस्य (क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र)	4	–तदैव–	15600–39100+5400	–तदैव–
15.	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	27	–तदैव–	15600–39100+5400	–तदैव–
16.	लेखाधिकारी	2	–तदैव–	15600–39100+5400	राज्य वित्त सेवा से प्रतिनियुक्ति पर। (01 संचालनालय से तथा 01 महिला आयोग से)
17.	प्रशासनिक अधिकारी–सह– लेखाधिकारी (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र)	1	–तदैव–	15600–39100+5400	कार्यालय अधीक्षक की पदोन्नति द्वारा।
18.	अधीक्षिका (नारी निकेतन)	3	–तदैव–	15600–39100+5400	सीधी भर्ती तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी की पदोन्नति द्वारा।
19.	प्रबंधक (छत्तीसगढ़ महिला कोष)	1	–तदैव–	15600–39100+5400	विभागीय सहायक संचालक से प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित। यह पद सहायक संचालक संवर्ग के अंतर्गत जोड़ा जाये।
20.	सहायक संचालक/प्रशासकीय अधिकारी (छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग)	1	–तदैव–	15600–39100+5400	–तदैव–
कनिष्ठ द्वितीय श्रेणी					
21.	बाल विकास परियोजना अधिकारी	220	कनिष्ठ द्वितीय श्रेणी	9300–34800+4300	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा।

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	सेवा/पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6 (1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आयुक्त/संचालक	1	–	–	–	भा.प्र. से.
2.	अपर संचालक	1	–	100%	–	संयुक्त संचालक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा।
संयुक्त संचालक (कुल पद 08)						
3.	संयुक्त संचालक (संचालनालय)	4	–	100%	–	01 पद राज्य वित्त सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा।
4.	संचालक (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र–संयुक्त संचालक संवर्ग)	1	–	100%	–	संयुक्त संचालक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा।
5.	महाप्रबंधक (छत्तीसगढ़ महिला कोष)	1	–	100%	–	विभागीय संयुक्त संचालक से प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित। उप संचालक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा।
6.	सचिव (छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग– संयुक्त संचालक संवर्ग)	1	–	100%	–	–तदैव–
7.	सचिव (छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग– संयुक्त संचालक संवर्ग)	1	–	100%	–	–तदैव–
कनिष्ठ प्रथम श्रेणी (कुल 34 पद)						
8.	उप संचालक (संचालनालय)	5	–	100%	–	सहायक संचालक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा।
9.	उप संचालक (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र)	2	–	100%	–	–तदैव–
10.	उप संचालक (क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र)	2	–	100%	–	–तदैव–
11.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	25	–	100%	–	–तदैव–

वरिष्ठ द्वितीय श्रेणी (कुल 52 पद)						
12.	सहायक संचालक (संचालनालय)	6	50%	50%	–	सीधी भर्ती तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी की पदोन्नति द्वारा।
13.	सहायक संचालक/संकाय सदस्य (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र)	7	50%	50%	–	–तदैव–
14.	सहायक संचालक/ संकाय सदस्य (क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र)	4	50%	50%	–	–तदैव–
15.	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	27	50%	50%	–	–तदैव–
16.	अधीक्षिका (नारी निकेतन)	3	50%	50%	–	–तदैव–
17.	प्रबंधक (छत्तीसगढ़ महिला कोष)	1	–	–	100%	विभागीय सहायक संचालक से प्रतिनियुक्ति हेतु आरक्षित। यह पद सहायक संचालक संवर्ग के अंतर्गत जोड़ा जाये।
18.	सहायक संचालक/ प्रशासकीय अधिकारी (छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग)	1	–	–	100%	–तदैव–
19.	लेखाधिकारी	2	–	–	100%	राज्य वित्त सेवा से प्रतिनियुक्ति पर। (01 संचालनालय से तथा 01 छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग से)
20.	प्रशासकीय अधिकारी–सह–लेखाधिकारी (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र)	1	–	100%	–	कार्यालय अधीक्षक की पदोन्नति द्वारा।
कनिष्ठ द्वितीय श्रेणी (कुल 220 पद)						
21.	बाल विकास परियोजना अधिकारी	220	50%	50%	–	(1) पदोन्नति हेतु आरक्षित 50% पदों में से रिक्त पदों को सर्वप्रथम सहायक सांख्यिकी अधिकारी से भरा जायेगा तथा शेष पदों को सहायक परियोजना अधिकारी से भरा जायेगा।

						(2) उपरोक्त उक्त संवर्ग में कार्यरत सभी अधिकारियों की पदोन्नति उपरान्त अथवा उपरोक्त संवर्ग में पात्र अधिकारियों की अनुपलब्धता की दशा में, पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत आने वाले शेष पदों को पर्यवेक्षकों से भरा जायेगा।

अनुसूची–तीन

(नियम 8 देखिये)

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिये।	–
2.	सहायक संचालक	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–
3.	अधीक्षिका (नारी निकेतन)	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–
4.	संकाय सदस्य (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र)	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–
5.	संकाय सदस्य (क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र)	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–
6.	प्रबंधक (छत्तीसगढ़ महिला कोष)	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–
7.	सहायक संचालक/प्रशासकीय अधिकारी (छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग)	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–
8.	बाल विकास परियोजना अधिकारी	–तदैव–	–तदैव–	–तदैव–	–

टीपः– ऐसे अभ्यर्थियों जो छत्तीसगढ़ राज्य के वास्तविक निवासी हों के लिये, उच्चतर आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची–चार
(नियम 13 देखिये)

स. क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु सेवा अनुभव की न्यूनतम अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**वरिष्ठ प्रथम श्रेणी**				
	संयुक्त संचालक (संचालनालय) / संचालक (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र) / महाप्रबंधक (छत्तीसगढ़ महिला कोष) / सचिव, (छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग) / सचिव (छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग)	अपर संचालक	05 वर्ष	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित सदस्य — **अध्यक्ष** (2) अपर मुख्य सचिव या सचिव — **सदस्य** (3) आयुक्त / संचालक, महिला एवं बाल विकास —**सदस्य**	
2.	**कनिष्ठ प्रथम श्रेणी**				
	उप संचालक (संचालनालय) / उप संचालक (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र) / उप संचालक (क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र) / जिला कार्यक्रम अधिकारी	संयुक्त संचालक / संचालक (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र / महाप्रबंधक (छत्तीसगढ़ महिला कोष) / सचिव, (छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग) / सचिव (छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग)	05 वर्ष	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित सदस्य — **अध्यक्ष** (2) अपर मुख्य सचिव या सचिव — **सदस्य** (3) आयुक्त / संचालक, महिला एवं बाल विकास —**सदस्य**	
3.	**वरिष्ठ द्वितीय श्रेणी**				
	(1) जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी / सहायक संचालक / अधीक्षिका (नारी निकेतन) / संकाय सदस्य (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र) / संकाय सदस्य (क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र) / प्रबंधक (छत्तीसगढ़ महिला कोष) सहायक संचालक / प्रशासकीय अधिकारी (छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग)	उप संचालक (संचालनालय) / उप संचालक (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र) / उप संचालक (क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र) / जिला कार्यक्रम अधिकारी	03 वर्ष	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित सदस्य — **अध्यक्ष** (2) अपर मुख्य सचिव या सचिव — **सदस्य** (3) आयुक्त / संचालक, महिला एवं बाल विकास —**सदस्य**	

	(2) बाल विकास परियोजना अधिकारी	(1) जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी / सहायक संचालक / अधीक्षिका (नारी निकेतन) / संकाय सदस्य (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र) / संकाय सदस्य (क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र) / प्रबंधक (छत्तीसगढ़ महिला कोष) सहायक संचालक / प्रशासकीय अधिकारी (छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग)	05 वर्ष	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित सदस्य **— अध्यक्ष** (2) अपर मुख्य सचिव या सचिव **— सदस्य** (3) आयुक्त / संचालक, महिला एवं बाल विकास **—सदस्य**	
4.	**तृतीय श्रेणी**				
	(1) कार्यालय अधीक्षक	प्रशासनिक अधिकारी—सह—लेखाधिकारी (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र)	05 वर्ष	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित सदस्य **— अध्यक्ष** (2) अपर मुख्य सचिव या सचिव **— सदस्य** (3) आयुक्त / संचालक, महिला एवं बाल विकास **—सदस्य**	
	(2) सहायक सांख्यिकी अधिकारी (डाईंग कैडर)	बाल विकास परियोजना अधिकारी	05 वर्ष	—तदैव—	(1) पदोन्नति हेतु आरक्षित 50% पदों में से रिक्त पदों को सर्वप्रथम सहायक सांख्यिकी अधिकारी से भरा जायेगा तथा शेष पदों को सहायक परियोजना अधिकारी से भरा जायेगा। (2) उपरोक्त उक्त संवर्ग में कार्यरत सभी अधिकारियों की पदोन्नति उपरान्त अथवा
	(3) सहायक परियोजना अधिकारी (डाईंग कैडर)	बाल विकास परियोजना अधिकारी	05 वर्ष	—तदैव—	
	(4) पर्यवेक्षक	बाल विकास परियोजना अधिकारी	05 वर्ष	—तदैव—	

					उपरोक्त संवर्ग में पात्र अधिकारियों की अनुपलब्धता की दशा में, पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत आने वाले शेष पदों को पर्यवेक्षकों से भरा जायेगा।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

Raipur, the 5th November 2015

No. F-1-29/2013/WCD/50.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Women and Child Development Department (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2008, namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

For Schedule–I, II, III and IV, the following shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-I
(See rule 5)

S.No.	Name of the posts included in the service	Number of post	Classification	Scale of pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Commissioner/Director	1	Class-I	37400-67000+10000	I.A.S.
2.	Addtional Director	1	...do...	37400-67000+ 8700	By promotion of Joint Director Cadre.
3.	Joint Director (Directorate)	4	...do...	15600-39100+ 7600	One post by deputation from State Finance Services.

4.	Director (State Level Resource Center-Joint Director Cadre)	1	Class-I	15600-39100+ 7600	By promotion of Deputy Director Cadre.
5.	General Manager (Chhattisgarh Mahila Kosh- Joint Director Cadre)	1	...do...	15600-39100+ 7600	Reserved for deputation from Departmental Joint Director. This post would be counted in Joint Director Cadre. By promotion of Deputy Director Cadre.
6.	Secretary (Chhattisgarh State Women Commission- Joint Director Cadre)	1	...do...	15600-39100+ 7600	....do.....
7.	Secretary (Chhattisgarh State Commission for Protection of Child Rights- Joint Director Cadre)	1	...do...	15600-39100+ 7600	....do.....
Junior Class-I					
8.	Deputy Director (Directorate)	5	Junior Class-I	15600-39100+ 6600	By promotion of Assistant Director Cadre.
9.	Deputy Director (State Level Resource Center)	2	...do...	15600-39100+ 6600	....do.....
10.	Deputy Director (Regional Training Center)	2	...do...	15600-39100+ 6600	....do.....
11.	District Programme Officer	25	...do...	15600-39100+ 6600	....do.....
Senior Class-II					
12.	Assistant Director (Directorate)	6	Senior Class-II	15600-39100+ 5400	By direct recruitment and by promotion of Child Development Project Officer.
13.	Assistant Director/Faculty Member (State Level Resource Center)	7	...do...	15600-39100+ 5400	....do.....

14.	Assistant Director/Faculty Member (Regional Training Center)	4	Senior Class-II	15600-39100+ 5400	By direct recruitment and by promotion of Child Development Project Officer.
15.	District Women and Child Development Officer	27	...do...	15600-39100+ 5400	....do.....
16.	Accounts Officer	2	...do...	15600-39100+ 5400	Deputation from State Finance Services. (01 in Directorate and 01 in Mahila Ayog)
17.	Administrative Officer-Cum-Accounts Officer (State Level Resource Center)	1	...do...	15600-39100+ 5400	By Promotion of Office Superintendent
18.	Superintendent (Nari Niketan)	3	...do...	15600-39100+ 5400	By direct recruitment and by promotion of Child Development Project Officer.
19.	Manager (Chhattisgarh Mahila Kosh)	1	...do...	15600-39100+ 5400	Reserved for deputation from Departmental Assistant Directors. This post would be counted in Assistant Director Cadre.
20.	Assistant Director/ Administrative Officer (Chhattisgarh State Women Commission)	1	...do...	15600-39100 + 5400	...do...
Junior Class-II					
21.	Child Development Project Officer	220	Junior Class-II	9300-34800 +4300	By direct recruitment and by promotion.

SCHEDULE-II
(See rule 6)

S.No.	Name of service/posts	Total number of duty post	Percentage of number of the posts to be filled in			Remarks
			By direct recruitment (See rule 6 (1) (a))	By promotion (See rule 6 (1) (b))	By transfer/ deputation of person from other services (See rule 6 (1) (c))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Commissioner/ Director	1	-	-	-	I.A.S.
2.	Additional Director	1	-	100%	-	By promotion of Joint Director Cadre.
Joint Director (Total Posts 08)						
3.	Joint Director (Directorate)	4	-	100%	-	01 Post by deputation from State Finance Services.
4.	Director (State Level Resource Center-Joint Director Cadre)	1	-	100%	-	By promotion of Joint Director Cadre.
5.	General Manager (Chhattisgarh Mahila Kosh)	1	-	100%	-	Reserved for deputation from Departmental Joint Directors. By promotion of Deputy Director Cadre.
6.	Secretary (Chhattisgarh State Women Commission- Joint Director Cadre)	1	-	100%	-	...do...
7.	Secretary (Chhattisgarh State Commission for Protection of Child Rights- Joint Director Cadre)	1	-	100%	-	...do...

Junior Class-I (Total Posts 34)						
8.	Deputy Director (Directorate)	5	-	100%	-	By promotion of Asistant Director Cadre.
9.	Deputy Director (State Level Resource Center)	2	-	100%	-	...do...
10.	Deputy Director (Regional Training Center)	2	-	100%	-	...do...
11.	District Programme Officer	25	-	100%	-	...do...
Senior Class-II (Total Posts 52)						
12.	Assistant Director(Directorate)	6	50%	50%	-	By direct recruitment and by promotion of Child development Project Officer.
13.	Assistant Director/ Faculty Member (State Level Resource Center)	7	50%	50%	-	...do...
14.	Assistant Director /Faculty Member (Regional Training Center)	4	50%	50%	-	...do...
15.	District Women and Child Development Officer	27	50%	50%	-	...do...
16.	Superintendent (Nari Niketan)	3	50%	50%	-	...do...

17.	Manager (Chhattisgarh Mahila Kosh)	1	-	-	100%	Reserved for deputation from departmental Assistant Directors. This post would be counted in Assistant Director Cadre.
18.	Assistant Director/ Administrative Officer (Chhattisgarh State Women Commission)	1	-	-	100%	...do...
19.	Accounts Officer	2	-	-	100%	Deputation from State Finance Services. (01 in Directorate and 01 in Chhattisgarh State Women Commission)
20.	Administrative Officer-cum-Accounts Officer (State Level Resource Center)	1	-	100%	-	By Promotion of Office Superintenden t
Junior Class-II (Total Posts 220)						
21.	Child Development Project Officer	220	50%	50%	-	(1) Out of 50% posts reserved for promotion, vacant posts shall be filled by Assistant Statistical firstly Officers and remaining vacant posts shall be filled by Assistant Project Officers.

						(2) After the promotion of all officers working in above said cadres or in case of non-availability of eligible officers in above cadres remaining posts falling under promotion quota shall be filled by supervisors.

SCHEDULE-III
(See rule 8)

S.No.	Name of posts included in the service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	District Women and Child Development Officer.	21 years	30 years	Should have graduation degree from any recognized University.	-
2.	Assistant Director	...do...	...do...	...do...	-
3.	Superintent (Nari Niketan)	...do...	....do...	...do...	-
4.	Faculty Member (State Level Resource Center)	...do...	....do...	...do...	-
5.	Faculty Member (Regional Training Center)	...do...	....do...	...do...	-
6.	Manager (Chhattisgarh Mahila Kosh)	...do...	....do...	...do...	-

7.	Assistant Director/ Administrative Officer (Chhattisgarh State Women Commission)	...do...	....do...	...do...	-
8.	Child Development Project Officer	...do...	....do...	...do...	-

Note :- The upper age limit shall be relaxable, for the candidates who are bonafide resident of State of Chhattisgarh, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time.

SCHEDULE-IV
(See rule 13)

S.No.	Name of service or post from which promotion to be made	Name of service or post to which Promotion is to be made	Minimum period of service experience for promotion	Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**Senior Class –I**				
	Joint Director (Directorate) / Director(State Level Resource Center) / General Manager (Chhattisgarh Mahila Kosh)/ Secretary (Chhattisgarh State Women Commission)/ Secretary (Chhattisgarh State Commission for Protection of Child Rights)	Additional Director	05 years	1. Chairman, Public Service Commission or Member nominated by him **- Chairman** 2. Additional Chief Secretary or Secretary **-Member** 3. Commissioner/Director, Women and Child Development- **Member**	
2.	**Junior Class-I**				
	Deputy Director (Directorate)/ Deputy Director (State Level Resource Center)/ Deputy Director (Regional Training Center)/ District Programme Officer	Joint Director / Director (State Level Resource Center) /General Manager (Chhattisgarh Mahila Kosh)/ Secretary (Chhattisgarh State Women Commission) / Secretary (Chhattisgarh State Commission for Protection of Child Rights)	05 years	(1) Chairman, Public Service Commission or Member nominated by him **- Chairman** (2) Additional Chief Secretary or Secretary- **Member** (3) Commissioner/ Director, Women and Child Development- **Member**	

3.	**Senior Class-II**				
	(1) District Women and Child Development Officer/ Assistant Director/ Superintent (Nari Niketan)/ Faculty Member (State Level Resource Center)/ Faculty Member (Regional Training Center)/ Manager (Chhattisgarh Mahila Kosh/ Assistant Director/ Administrative Officer (Chhattisgarh State Women Commission)	Deputy Director (Directorate)/ Deputy Director (State level Resource Center)/ Deputy Director (Regional Training Center)/ District Programme Officer	03 years	(1) Chairman, Public Service Commission or Member nominated by him **- Chairman** (2) Additional Chief Secretary or Secretary -**Member** (3) Commissioner/ Director, Women and Child Development - **Member**	
	(2) Child Development Project Officer	District Women and Child Development Officer/ Assistant Director/ Superintent (Nari Niketan)/ Faculty Member (State Level Resource Center)/ Faculty Member (Regional Training Center)/ Manager (Chhattisgarh Mahila Kosh)/ Assistant Director/ Administrative Officer (Chhattisgarh State Women Commission)	05 years	...do...	
4.	**Class-III**				
	(1) Office Superintendent	Adminsitrative Officer-cum-Accounts Officer (State Level Resource Center)	05 years	(1) Chairman, Public Service Commission or member nominated by him - **Chairman** (2) Additional Chief Secretary or Secretary -**Member** (3) Commissioner/ Director, Women and Child Development -**Member**	

	(2) Assistant Statistical Officer (Dying Cadre)	Child Development Project Officer	05 years	...do...	(1) Out of 50% posts reserved for promotion, vacant posts shall be filled by Assistant Statistical Officers firstly and remaining vacant posts shall be filled by Assistant Project Officers. (2) After the promotion of all officers working in above said cadres or in case of non-availability of eligible officers in above cadres remaining posts falling under promotion quota shall be filled by supervisors."
	(3) Assistant Project Officer (Dying Cadre)	Child Development Project Officer	05 years	...do...	
	(4) Supervisor	Child Development Project Officer	05 years	...do....	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DINESH SHRIVASTAVA, Secretary.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 8-1/2015/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-54-10/तीन (दो)/न.पा./अव.कार.श्रमिक/2014/3131, दिनांक 24-11-2015 में उल्लेखित छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ-54-13/तीन (दो) न.पा./समयकार्यक्रम/2015/3111, दिनांक 21-11-2015 के अनुसार भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 यक सहपठित छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14(1) छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (1) एवं नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम, 11 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 20 (2) (क) तथा 21 (1) छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 36 (2) (क) तथा 37 (1) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा नगरपालिकाओं (नगरपालिक निगम, नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत) के महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद पदों के निर्वाचन की समय अनुसूची (कार्यक्रम) संलग्न परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 में अंकित नगरपालिकाओं (नगरपालिक निगम, नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत) में आम/उप निर्वाचन 2015 को संपन्न कराने के लिए दिनांक 28-12-2015 (सोमवार) को मतदान कराया जायेगा तथा दिनांक 31-12-2015 को मतगणना होगी.

2. अतः कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत् उन श्रमिक/कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन अर्थात् 28-12-2015 (सोमवार), को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित करता है.

3. ऐसे कारखानों जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अब्बास खान, अवर सचिव.

परिशिष्ट-दो
(उप निर्वाचन)

क्रमांक	जिला	नगरपालिका नाम	वार्ड क्र.
1.	जांजगीर-चांपा	नगर पंचायत, नयाबाराद्वार	2
		नगर पंचायत, नवागढ़	9
		नगर पंचायत, चन्द्रपुर	9
2.	धमतरी	नगर पंचायत, भखारा	6
3.	बालोद	नगर पंचायत, डोण्डी	14 एवं 15
4.	राजनांदगांव	नगर पंचायत, गण्डई	8
		नगर पालिका परिषद्, डोंगरगढ़	22

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

क्रमांक-एफ 7-29/2015/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उप धारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए गनियारी जिला बिलासपुर निवेश क्षेत्र का गठन करता है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित् की गई है :—

अनुसूची

गनियारी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम लमेर, भाड़म एवं घुटकू ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम घुटकू, देवरीकला, भरनी एवं खजुरी ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम खजुरी, चोरभट्ठीखुर्द, चोरभट्टीकला, बेलटुकरी, घोंघा, नेवरा, भरारी एवं मोहनभाटा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में: ग्राम मोहनभाटा, पथर्रा, भौवाकापा, भुण्डा, नेवरा एवं लमेर ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

क्रमांक/1103/भू-अर्जन प्र.क्र./1/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	तुरकीनडीह	0.024	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोक व्यपवर्तन वितरक शाखा क्र. 01 के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

क्रमांक/1104/भू-अर्जन प्र.क्र./3/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	मोहतरा	1.006	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोक व्यपवर्तन वितरक शाखा क्र. 04 के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

क्रमांक/1105/भू-अर्जन प्र.क्र./4/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	खपराडीह	0.088	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोक व्यपवर्तन वितरक शाखा क्र. 01 के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

क्रमांक/1106/भू-अर्जन प्र.क्र./5/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	सोनाखान	1.383	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	मखुरहा जलाशय के आर.सी.सी. नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

क्रमांक/1107/भू-अर्जन प्र.क्र./6/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	भुसड़ीपाली	0.763	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	मखुरहा जलाशय के आर.सी.सी. नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

क्रमांक/1108/भू-अर्जन प्र.क्र./7/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	टुण्डरा	1.082	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोक वितरक शाखा क्र. 04 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

क्रमांक/1109/भू-अर्जन प्र.क्र./8/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	बरपाली	2.868	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोक वितरक शाखा क्र. 04 के गिधौरी माइनर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

क्रमांक/1110/भू-अर्जन प्र.क्र./9/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	टुण्डरा	0.771	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोक वितरक शाखा क्र. 04 के गिधौरी माइनर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

क्रमांक/1111/भू-अर्जन प्र.क्र./20/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	बलौदा	0.177	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोक व्यपवर्तन वितरक शाखा क्र. 01 के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

क्रमांक/1112/भू-अर्जन प्र.क्र./22/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	कसडोल	सोनाखान	3.917	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	मखुरहा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2015

क्रमांक/6/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	सूरजपुर	पर्री प.ह.नं. 6	0.53	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.).	रिंग रोड निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2015

क्रमांक/7/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	सूरजपुर	देवीपुर प.ह.नं. 10	3.83	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.).	रिंग रोड निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2015

क्रमांक/1/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	सूरजपुर	नमदगिरी प.ह.नं. 07	0.104	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.).	रिंग रोड निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2015

क्रमांक/8/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	सूरजपुर	तिलसिवां प.ह.नं. 7	3.204	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.).	रिंग रोड निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 नवम्बर 2015

(संशोधन)

क्रमांक 16448/भू-अर्जन/2015.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा-11 के तहत इस कार्यालय द्वारा जारी प्रारंभिक अधिसूचना क्रमांक-930/भू-अर्जन/जांजगीर-चांपा दिनांक 01-04-2015 की कंडिका "3" एवं "6" में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती अंकित है उसके स्थान पर सुधार कर अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पामगढ़ पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 10 नवम्बर 2015

क्रमांक/362/01/अ-82 वर्ष 2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-गुठानीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.38 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	685	0.53
	694	0.68
	658/2	0.16
	659/4	0.24
	658/3	0.38
	659/5	0.32
	675/2	0.08
	686	0.34
	689	0.04
	692	0.40
	696	0.31
	659/2	0.30
	661	0.10
	664	0.10
	659/3	0.30
	663	0.10
	605	0.10
	660	0.10
	662	0.10
	677	0.11
	690	0.32
	691	0.36
	695	0.27
	699	0.17
	665	0.47
योग	25	6.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुराऊ जलाशय योजना के डूब में आयी भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 10 नवम्बर 2015

क्रमांक/364/04/अ-82 वर्ष 2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-गुठानीपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.23 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
561	0.19
560	0.32
362	0.02
378	0.02
381	0.02
386	0.13
566	0.18
612	0.05
605	0.04

(1)	(2)
610	0.04
591	0.05
611	0.05
614	0.01
278	0.01
267	0.04
531	0.06
248	0.12
273	0.10
511	0.12
363	0.14
380	0.02
384	0.02
609	0.07
514	0.15
510	0.08
512	0.19
513	0.07
515	0.06
137	0.01
613	0.03
272	0.07
275/2	0.04
266	0.18
184	0.09
275/1	0.02
565	0.10
276	0.06
140	0.08
280	0.16
279	0.01
269	0.14
274/2	0.06
379	0.02
602/1	0.04
274/1	0.08
277/2	0.11
364	0.04
385	0.10
590/1	0.04
590/2	0.03
606	0.02
260/1	0.33
योग 52	4.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुराऊ जलाशय योजना के दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2015

क्रमांक 1731/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-सूरजपुर/2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट सूरजपुर निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

सूरजपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम पतरापारा, पर्री, डुमरिया, नमदगिरी, सरस्वतीपुर, गिरवरगंज एवं नयनपुर की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम नयनपुर, पचिरा एवं बेलटिकरी की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम बेलटिकरी, लांची, देवीपुर एवं पंपापुर की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम पंपापुर, चन्द्रपुर एवं पतरापारा की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की समयावधि के भीतर निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में कार्यकारी दिवसों में (अवकाश को छोड़कर) खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

विमल कुमार बगवैया,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 नवम्बर 2015

क्रमांक/1121/न.ग्रा.नि./अड़भार/वि.यो./2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट अड़भार निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

अड़भार निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम ढ़िमानी, बड़भार एवं हरदी ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम हरदी, बंजारी, संजारी एवं चरौदा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम चरौदा एवं बंदौरा एवं बुंदेली ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम बंदौरा, बुंदेली एवं ढ़िमानी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की समयावधि के भीतर निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में कार्यकारी दिवसों में (अवकाश को छोड़कर) खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत अड़भार जांजगीर (छ.ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 नवम्बर 2015

क्रमांक/1127/न.ग्रा.नि./मुलमुला/वि.यो./2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट मुलमुला निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

मुलमुला निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम आरसमेटा, गोंदाडीह, अमोरा एवं नरियरा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम नरियरा, झिलमिला, झिलमिली एवं भैंसों ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम भैंसों एवं कोसा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम कोसा, कोनार एवं आरसमेटा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की समयावधि के भीतर निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में कार्यकारी दिवसों में (अवकाश को छोड़कर) खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय ग्राम पंचायत मुलमुला जांजगीर (छ.ग.)

बी. के. तिवारी,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक 19 नवम्बर 2015

क्रमांक 1243/न.ग्रा.नि./धमतरी/2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि दरबा निवेश क्षेत्र के लिये भूमि के उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी 01 प्रति कलेक्टर, जिला-धमतरी (छ.ग.), सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, धमतरी (छ.ग.) एवं ग्राम पंचायत दरबा के कार्यालयों में दिनांक 20-11-2015 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिये उपलब्ध है.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, धमतरी (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, (छ.ग.) नया रायपुर द्वारा विचार किया जायेगा.

स्थान : ग्राम पंचायत, दरबा.

आर. के. मालवीया,
सहायक संचालक.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 27 नवम्बर 2015

क्रमांक/14385/न.ग्रा.नि./वि.यो.पाटन/2015.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट पाटन निवेश क्षेत्र की भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र अनुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं, इस सूचना की प्रतिलिपि अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक् साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है :—

अनुसूची

पाटन निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम दैवमोर, बठेना, सिकोला एवं सुपकान्हा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम सुपकान्हा, सोनपुर एवं खम्हरिया ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम खम्हरिया, अटारी, अखरा एवं पंदर ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम पंदर एवं दैवमोर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग.

No./14385/D.P Patan/2015.—Notice is hereby given for the general information of the public that of existing land use map & register of Patan Planning Area so prepared under published are duly adopted by the Director, Town & Country Planning under the provision of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and register have been duly prepared and adopted on publication of the notice in Chhattisgarh Gazette :—

SCHEDULE

Limit of the Patan Planning Area

NORTH : Village Daivmor, Bathena, Sikola and up to Northern boundary of Village Supkanha.
EAST : Village Supkanha, Sonpur and up to Eastern boundary of Village Khamariya.
SOUTH : Village Khamariya, Atari, Akhara and up to Southern boundary of Village Pandar.
WEST : Village Pandar and up to Western boundary of Daivmor Village.

The said adopted map & register shall be available for inspection of general public at following place during office hours for the period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of inspection : Office of the Joint Director, Town & Country Planning Durg.

जाहिद अली,
संयुक्त संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

कबीरधाम, दिनांक 26 नवम्बर 2015

क्रमांक/1910/नग्रानि/कबीरधाम/स्ट्र.प्लान पिपरिया/2015.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में पिपरिया निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 09 ग्रामों के लिए वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 1148 दिनांक 16-06-2015 द्वारा किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि आयुक्त सह. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट पिपरिया निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 09 ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से दिनांक 02-12-2015 को अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

पिपरिया निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम-कोठार, ग्राम-चरडोंगरी, ग्राम-झिरना एवं ग्राम-खाम्ही की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम-खाम्ही, ग्राम-गांगपुर, ग्राम-पिपरिया, ग्राम-मानिकचौरी एवं ग्राम-धरमपुरा की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम-धरमपुरा, ग्राम-मानिकचौरी, ग्राम-पिपरिया एवं ग्राम-परसवारा की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम-धरमपुरा, ग्राम-पिपरिया, ग्राम-परसवारा व ग्राम कोठार की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.).

No./1910/ELU/TCP/2015.—The existing land use map for the Pipariya Planning Area of 09 Villages have been uncluded for which the existing land use maps and register was published under Sub-section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) Vide Notice No. 1148 date 16-06-2015 of Piparya.

Therefore, a notice is hereby given for the general information of the public that the existing land use maps and register of Pipariya Planning Area of 09 Villages have been included for which the existing land use maps and register so prepared and published are duly adopted by the Commissioner Cum. Director, Town & Country Planning under the provision of sub-section 3 of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette, under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the dact that the above maps and register have been duly prepared and adopted on dt. 02-12-2015.

SCHEDULE

Pipariya Planning Area Limits

NORTH : Village-Kothar, Village-Chardongari, Village-Jhirna & upto Northern limit of Village-Khamhi.
EAST : Village-Khamhi, Village-Gaangpur & upto Eastern limit of Village-Manikchori.
SOUTH : Village-Manikchori, Village-Dharampura & upto Southern limit of Village-Pipariya.
WEST : Village-Pipariya, Village-Paraswara & upto Western limit of Village Kothar.

The said adopted maps and register shall be available for inspection of general public at following place during office hours for period of from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site : Office of the Asst. Director, Town & Counry Planning, Kawardha, Distt.-Kabirdham (C.G.)

प्रीति देवांगन,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)

कांकेर, दिनांक 30 नवम्बर 2015

क्रमांक/1092/न.ग्रा.नि./अंतागढ़ नि.क्षे./2015.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में अंतागढ़ निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 901/नग्रानि/2015 दिनांक 11-08-2015 द्वारा किया गया था.

अब एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन अंतागढ़ निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग एवं रजिस्टरों को तदानुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसार में इस सूचना को छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का साक्ष्य होगा, कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार एवं अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

अंतागढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम ईमलीपदर एवं हिमोड़ा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम हिमोड़ा, अंतागढ़ एवं कलगांव ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम कलगांव एवं कुहचे ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम कुहचे एवं ईमलीपदर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थानों पर सार्वजनिक अवलोकन हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत, अंतागढ़.

No./1092/T.C.P./Ant./Plla./2015.—The existing land use map and register for the Antagarh Planning Area was published under sub-section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) Vide Notice No. 901/T.C.P./2015 Kanker, dated 11-08-2015.

Therefore, a notice is hereby given for the general information of the public that existing land use map and register of Antagarh Planning Area prepared and published are duly adopted under the provision of sub section (3) of the section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and registers has been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Antagarh Planning Area Limits

NORTH : Village Imlipadar and Himoda up to Northern limit of Village.
EAST : Himoda, Antagarh and Kalgoan up to the Eastern limit of Village.
SOUTH : Village Kalgoan and Kuhche up to Southern limit of Village.
WEST : Village Kuhche and Imlipadar up to the Western limit of Village.

The said adopted maps and register shall be available for inspection for general public at following place during office hours for the period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection Site : Office of the Nagar Panchayat Antagarh.

पी. एल. दिल्लीवार,
सहायक संचालक.

कार्यालय, उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

क्रमांक/2428/नग्रानि./राजनांदगांव/स्ट्र. प्लान छुईखदान/2015.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में छुईखदान निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 838/नग्रानि./राजनांदगांव/स्ट्र. प्लान छुईखदान/2015, राजनांदगांव दिनांक 08-05-2015 छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 15 मई 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट छुईखदान निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

छुईखदान निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम शामपुर, ग्राम लक्ष्मणपुर तथा ग्राम राधापुर की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम लक्ष्मणपुर, ग्राम राधापुर तथा ग्राम छुईखदान की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम राधापुर, ग्राम छुईखदान तथा ग्राम नवागांव (रामपुर) की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम नवागांव (रामपुर) तथा ग्राम शामपुर की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल :

1. कार्यालय, नगर पंचायत, छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
2. कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कम्पोजिट बिल्डिंग, कक्ष क्रमांक 10/2, कलेक्टोरेट परिसर, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

No./2428/T&CP/Rajnandgaon/S.P-Chhuikhadan/2015.—The existing land use map and register for the Chhuikhadan Planning Area was published under sub-section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), Vide Notice No. 838 Rajnandgaon, date 08-05-2015 in Chhattisgarh Rajpatra Published on dated 15 May 2015.

Therefore, a notice is hereby given for the general information of the public that the existing land use map and register of Chhuikhadan Planning Area prepared and published are duly adopted by the Director, Town & Country Planning, under the provision of sub-section (3) of the Section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in "Chhattisgarh Gazette" under the provision of sub-section (4) of Section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and registers have been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Limits of Chhuikhadan Planning Area

NORTH : Village Shampur, Lakshamanpur upto the Northern limit of Radhapur.
EAST : Village Lakshamanpur, Radhapur upto the Eastern limit of Village Chhuikhadan.
SOUTH : Village Radhapur, Chhuikhadan upto the Southern limit of Navagaon (Rampur).
WEST : Village Navagaon (Rampur) upto the Western limit of Shampur.

The said adopted maps and register shall be available for inspection for general public at following place during office hours, except holidays for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection :

1. Office of the Nagar Panchayat, Chhuikhadan, District-Rajnandgaon (C.G.)
2. Office of the Deputy Director, Town And Country Planning, Composite Building, Room No. 102, Collectorate Campus, District Rajnandgaon (C.G.).

एल. एल. राठौर,
उप-संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 5th November 2015

No. 8850/III-6-2/2007.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers the following Judicial Magistrate First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

Sl. No.	Name of the Judicial Magistrate First Class	Present place of posting	Civil District
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Hemant Kumar Ratre, Judicial Magistrate First Class.	Janakpur	Koriya

By order of Hon'ble the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.

Bilaspur, the 13th October 2015

No. 729/L.G./2015/II-3-4/2008.—Shri Neelam Chand Sankhla, District & Sessions Judge, Durg is hereby, granted earned leave for 03 days from 24-09-2015 to 26-09-2015 along with permission to leave headquarters from 20-09-2015 to 27-09-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sankhla, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 13th October 2015

No. 731/L.G./2015/II-2-3/2000.—Smt. Anuradha Khare, I Additional Principal Judge, Family Court, Raipur is hereby, granted earned leave for 09 days from 18-09-2015 to 26-09-2015 along with permission to leave head-quarters from 18-09-2015 to 27-09-2015.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Khare, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 280 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 13th October 2015

No. 732/L.G./2015/II-2-4/2004.—Shri Vinay Kumar Kashyap, District & Sessions Judge, Kondagaon is hereby, granted earned leave for 11 days from 14-09-2015 to 25-09-2015 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kashyap, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+04 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN.).

बिलासपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2015

क्रमांक/197/दो-2-7/2003.—श्री अरविन्द सिंह चन्देल, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 13-10-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2015

क्रमांक/198/दो-3-4/2010.—श्रीमति रजनी दुबे, रजिस्ट्रार (सतर्कता), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 16-10-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2015

क्रमांक/199/दो-2-5/2015.—श्री मनीष कुमार ठाकुर, एडिशनल रजिस्ट्रार (डी.ई/ई), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 16-10-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2015

क्रमांक/200/दो-3-25/2007.—श्री मंसूर अहमद, एडिशनल रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 16-10-2015 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2013 से 31-10-2015 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.